न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारी लाल शर्मा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 83/2018

उदयसिंह पसुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी हनुमानजी की ढाणी, बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राज0 हाल आबाद हाउस नं. 51 गली नं. 7 अम्बेडकरनगर, हैदरपुर नोर्थ वेस्ट दिल्ली।
—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

ऐडवोकेट वादी— श्री राजीवसिंह
ऐडवोकेट प्रति0— पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांक 22.04.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम हनुमानजी की ढाणी प0हल्का बुगाला की सरहद में भूमि नई खाता सं0 4 के ख.न. 32/0.91, 33/1.00 किता 2 कुल रकबा 1.91 है0 स्थित है उपरोक्त भूमि वादी की पैत्रिक भूमि है जिस पर वादी अपने हिस्से पर काबिज व आबाद है और हिस्से अनुसार ही अपनी भूमि को काश्त करते हैं। हिस्से व कब्जे काश्त का कोई विवाद नही है तथा वादी व प्रतिवादी नं. 1 व 2 की माता उम्मेदकंवर का देहान्त हो जाने के कारण उन्हे उपरोक्त वाद में पक्षकार नही बनाया गया है क्योंकि उपरोक्त वाद केवल कालूसिंह की जगह उदयसिंह दुरूस्त करवाने के अलावा अन्य कोई सिद्धि नही चाही गई है। हिस्से बाबत उपरोक्त वाद में वादी द्वारा कोई सिद्धि नही चाही गई है। वादी के पिता भंवरसिंह का देहान्त हुआ तब उपरोक्त भूमि का नामा0 सं0 9 दर्ज हुआ तब उपरोक्त वर्णित भूमि मे वादी का नाम भूलवश सहवन से उदयसिंह की जगह कालूसिंह दर्ज हो गया जबकि वादी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे राशनकार्ड फोटोपहचान पत्र बैंक वोटरलिस्ट आधार कार्ड भामाशाह कार्ड आदि में उदयसिंह पुत्र भंवरसिंह नाम दर्ज है और राजस्व रिकार्ड में कालूसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज है जो गलत दर्ज है जो परिवार वालों की गलती व भूलवश दर्ज हो गया था जिसका प्रार्थी को कोई ज्ञान नही था इसलिये राजस्व रिकार्ड में भी कालूसिंह के स्थान पर उदयसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज किया जाना न्यायोचित है और इसी नाम की परिविष्टी की जाकर शुद्धि की जावे। कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम दर्ज होने से कई प्रकार की असुविधा हो रही है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम अन्य रिकार्ड से मेल नही खाता है जबकि उक्त गलती सहवन व भूलवश हुई है प्रार्थी के तमाम दस्तावेजों से सही नाम उदयसिंह पुत्र भंवरसिंह प्रमाणित है ऐसी हालत में वादी के लिये यह दावा बाबत घोषणार्थ का पेश करना आवश्यक हुआ। दिनांक 31.05.2018 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने से गलत रिकार्ड का पता लगने के रोज वादकारण पैदा हुआ। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 16 सहखातेदार होने के कारण घोषणा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है ताकि वादे में कोई नुक्स नही रहे। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 16 के खिलाफ वाद ने कोई सिद्धि नही चाही है । प्रतिवादी नं. 17 लैण्ड होने व आवश्यक पक्षकार होने के कारण तथा प्रतिवादी नं. 18 के यहां भूमि रहन दर्ज होने से पक्षकार बनाया है। अतः गाम हनुमानजी की ढाणी की सरहद में भूमि खाता सं0 5 के ख.न. 32/0.91, 33/1.00 किता 2 कुल रकबा 1.91 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में कालूसिंह पुत्र भंवरसिंह की जगह वादी का वास्तविक व सही नाम उदयसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज किया जाकर इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 16 व 18 से कोई सिद्धि नही चाहने के कारण नाम हजफ करवाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ से ली जाने पर तहसीलदार नवलगढ द्वारा वर्णित किया गया कि हनुमानजी की ढाणी के भूमि ख.न. 32/0.91, 33/1.00 के राजस्व रिकार्ड में कालूसिंह पुत्र भंवरसिंह की जगह वास्तविक सही नाम उदयसिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

भंवरसिंह दर्ज करने की मांग की है। आवेदक के आधार कार्ड, ड्रांइविंग लाईसेन्स, एवं राशनकार्ड में उदयसिंह पुत्र भंवरसिंह का अंकन है। ग्राम में मजमे आम में पूछताछ में भी कालूसिंह पुत्र भंवरसिंह का सही नाम उदयसिंह पुत्र भंवरसिंह होना बताया गया। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार नाम उदयसिंह पुत्र भंवरसिंह की शुद्धि की जानी उचित है। तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर शहादत वादी ली जाकर बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम हनुमानजी की ढाणी संवत 2067 से 2070 के खाता सं0 4 के ख.न. 32/0.91, 33/1.00 है किता 2 कुल रकबा 1.91 है0 की खातेदारी उम्मेदकंवर पत्नी भंवरसिंह किशोरसिंह कालूसिंह होशियारसिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 1/3 प्रेमसिंह बहादूरसिंह पिता ओनाडसिंह हि0 2/3 कोम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नामा0सं0 406 नि.दि. 13.01.2015 रहनानामा राहिन उम्मेदकंवर पत्नी भंवरसिंह किशोरसिंह कालूसिंह होशियारसिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 1/3 बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बुगाला मूर्तहीन स्वीकार शेष बदस्तूर जमा0 दर्ज रिकार्ड है। इस संबंध में प्रस्तुत छाया प्रतियां दस्तावेजात यथा ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, विद्युत बिल चाह आदि दस्तावेजात में वादी का नाम उदयसिंह पुत्र भंवरसिह नाम दर्ज है। शहादत वादी में वादी स्वयं का तथा वादी के भाई करणसिंह व बजरंगसिंह के शपथ पत्र पेश किये गये जिनमें वादी का सही नाम कालूसिंह नही होकर सही नाम उदयसिंह पुत्र भंवरसिंह होने की पुष्टि की गई है। अतः प्रस्तुत शहादत, दस्तोवजात व रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ के अनुसार वादी का सही नाम उदयसिंह पुत्र भंवरसिंह होना प्रमाणित होने से वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम हनुमानजी की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की भूमि ख. न. 32/0.91, 33/1.00 है0 में कालूसिंह पुत्र भंवरसिंह कोम राजपूत के स्थान पर उदयसिंह पुत्र भंवरसिंह कोम राजपूत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का वादी के हिस्से की भूमि रहन मुक्त होने पर मुताबिक फैसला वादी का नाम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। हर्जा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-4-19

(मुरारी लाल शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

नवलगढ

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

<u>दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती</u>

मुकदमा सं०:– 83/2018 (उदयसिंह बनाम तहसीलदार)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर०ए०एस०), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ वहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 22.04.2019 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम हनुमानजी की ढाणी पटवार हल्का बुगाला की भूमि ख.न. 32/0.91, 33/1.00 है0 में कालूसिंह पुत्र भंवरसिंह कोम राजपूत के स्थान पर उदयसिंह पुत्र भंवरसिंह कोम राजपूत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का वादी के हिस्से की भूमि [illegible] होने पर मुताबिक घोषित वादी का नाम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

जिन..........–.................... मुवलिग...........–............बावत.....–.................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–..........................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 22 माह 04 सन..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बावत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	11.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner